पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

CIN :- U40101UR2004SGC028675

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

E-mail : hr@ptcul.org

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 वेबसाइट : www.ptcul.org

पत्रांक : 836 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ दिनांक: 28 .05.2025

विषयः– सेवानिवृत्त कार्मिकों पारिवारिक पेंशनधारियों एवं मृत कर्मचारियों के लम्बित देयको/पेंशन प्रकरणों के निस्तारण तथा कार्मिकों के पदधारिता विवरण के सम्बन्ध में दिनांक 20.05.2025 को कारपोरेट मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर I/II)/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.....................।

कृपया दिनांक 20.05.2025 को सेवानिवृत्त कार्मिकों, पारिवारिक पेंशनधारियों एवं मृत कर्मचारियों के लम्बित देयकों/पेंशन प्रकरणों के निस्तारण तथा कार्मिकों की पदधारिता के सम्बन्ध में कारपोरेशन मुख्यालय में आयोजित की गयी मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त की प्रतिलिपि संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः यथा उपरोक्त।

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)(औ0)

पत्रांक /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ तददिनांक : –

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी–सचिव–निदेशक (मा0सं0)/(परिचालन), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
3. समीक्षा बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारी।
4. अधिशासी अभियन्ता (सू0एवंप्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया विषयगत पत्र को संलग्नक सहित कारपोरेशन की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः यथा उपरोक्त।

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)(औ0)

सेवानिवृत्त कार्मिकों/पारिवारिक पेंशनधारियों तथा मृतक कार्मिकों के लम्बित विभागीय देयकों/पेंशन प्रकरणों के निस्तारण तथा कार्मिकों की पदधारिता विवरण के सम्बन्ध में दिनांक 20.05.2025 को कारपोरेट मुख्यालय में आहूत समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति:

बैठक में विभिन्न इकाईयों, वित्त अनुभाग तथा मानव संसाधन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी ऑफ लाईन माध्यम से उपस्थित हुए:—

1. श्री अशोक कुमार जुयाल, महाप्रबन्धक (मा0सं0)।
2. श्री विवेकानन्द, उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)(प्र0)।
3. श्री अजय कुमार शर्मा, वरिष्ठ लेखाधिकारी।
4. श्री विकास कुमार, सहायक लेखाधिकारी।

विभिन्न इकाईयों से प्राप्त निस्तारित/लम्बित पेंशन प्रकरणों का विवरण एवं अद्यतन स्थिति:—
वित्त विभाग द्वारा निस्तारित/कोषाधिकारी को प्रेषित प्रकरण:—

क्र0 सं0	सेवानिवृत्त/ मृतक कार्मिक का नाम एवं पदनाम	सेवानिवृत्त/ मृत्यु की तिथि	इकाई का नाम	पेंशन प्रकरण की अद्यतन स्थिति	प्रकरण जिस स्तर पर लम्बित है मा0सं0अनुभाग द्वारा उस अनुभाग को दिये गये दिशा–निर्देश
1.	श्री योगेश कुमार, अवर अभियन्ता	30.04.2024	220 के0वी0 परि0एवंअनु0 उपकेन्द्र, पिरानकलियर	लक्सर प्रकरण में श्री योगेश कुमार, अवर अभियन्ता को अन्य के साथ आरोप पत्र निर्गत किया गया है, जिसमें मार्गदर्शन हेतु प्रकरण शासन को प्रेषित किया गया है।	कारपोरेशन पत्रांक 768 दिनांक 17.05.2025 के माध्यम से संयुक्त सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को प्रकरण पर यथाशीघ्र यथोचित कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।
2.	श्री विजयमल प्रसाद, अवर अभियन्ता	31.10.2024	220 के0वी0 उपकेन्द्र, पिरान कलियर	लक्सर प्रकरण में श्री विजयमल प्रसाद, अवर अभियन्ता को अन्यों के साथ आरोप पत्र निर्गत किया गया था, जिसमें मार्गदर्शन हेतु प्रकरण शासन को प्रेषित किया गया है।	–तदैव–
3.	श्री अनिल कुमार, मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)	31.10.2024	क्रय एवं अनु0, पिटकुल, देहरादून	उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1381/I(2)/2010-07(2)/10 दिनांक 06.07.2010 के अनुपालन में कारपोरेशन पत्रांक 1226/प्र0 नि0/पिटकुल/G-1 दिनांक 29.03.2025 के द्वारा शासन से दिशा–निर्देश चाहें गये हैं।	–
4.	श्रीमती लक्ष्मी देवी, रनर	31.03.2025	परीक्षण एवं परिचालन खण्ड, रूड़की	प्रकरण दिनांक 14.05.2025 को वित्त विभाग में प्राप्त हुआ है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	प्रकरण को शीघ्र निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये।

क्रमशः.................2

सेवानिवृत्त कार्मिकों / पारिवारिक पेंशनधारियों तथा मृत्तक कार्मिकों के लम्बित विभागीय देयकों / पेंशन प्रकरणों के निस्तारण तथा कार्मिकों के पदधारिता विवरण के सम्बन्ध में बैठक में निम्नलिखित निर्देश दिये गये:–

1. बैठक में उपस्थित समस्त कार्मिकों को आउटसोर्स से नियोजित कार्मिकों का विवरण मासिक रूप से तैयार कर मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।
2. बैठक में उपस्थित समस्त कार्मिकों को ई0पी0एफ0 की हायर वेजस पेंशन के सम्बन्ध में जिन कार्मिकों द्वारा हायर वेजस पेंशन हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की गयी है, उनका वांछित डेटा यथाशीघ्र उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया।
3. बैठक में खण्ड कार्यालयों से उपस्थित कार्मिकों से उनके कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों की वर्ष 2024–25 की के0पी0आई0 / ऑन लाइन / ऑफ लाइन निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।
4. बैठक में खण्ड कार्यालयों से उपस्थित कार्मिकों द्वारा कार्यालयों में कम्प्यूटर सिस्टम उपलब्ध न होने के कारण कार्य निस्तारण हो रही समस्याओं से अवगत कराया गया तथा कम्प्यूटर सिस्टम उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त पर महाप्रबन्धक (मा0सं0), पिटकुल द्वारा दूरभाष पर अधीक्षण अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी) से वार्ता की गयी, जिसमें अधीक्षण अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी) द्वारा अवगत कराया गया कि कम्प्यूटर की मांग से सम्बन्धित समस्त पत्र उन्हें प्रेषित किये जाय, जिसके उपरान्त वह नियमानुसार उचित कार्यवाही करेंगे।

(अजय कुमार शर्मा) वरिष्ठ लेखाधिकारी	(विवेकानन्द) उपमहप्रबन्धक (मा0सं0)(प्र0)	(अशोक कुमार जुयाल) महाप्रबन्धक (मा0सं0)